











केन्द्रीय प्रायोजित प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना

व राज्य सरकार

के अधीन

मात्स्यिकी विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा

मछुआरों व मत्स्य कृषकों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाएं

अधिक जानकारी के लिए विभागीय वैबसाईट देखें।



hpfisheries.nic.in fisheries-hp@nic.in \$\,\$01978-224068

🕈 मात्स्यिकी निदेशालय हिमाचल प्रदेश, बिलासपुर

मात्स्यिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश

केन्द्र सरकार	योजना- प्रधान मन्त्री मत्स्य सम्पदा योजना		
1) योजना घटक का नाम	मछली पकड़ने के प्रतिबंध या लीन अवधि के दौरान मत्स्य संसाधनों के संरक्षण के लिए समाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े सक्रीय पारंपरिक मछुआरों के परिवारों के लिए आजीविका और पोषण सम्बन्धी सहायता (बचत एवं राहत योजना)		
पात्रता 	 1. लाभार्थी पूर्णकालिक सक्रिय मछुआरा होना चाहिये 2. लाभार्थी किसी कार्यशील मत्स्य सहकारी सभा/फेडरेशन/पंजीकृत इकाई का सदस्य होना चाहिए। 3. लाभार्थी को मछली पकडने वाले 10 माह तक रु० 150/- प्रति माह (रू० 1500 वार्षिक) का योगदान देना होगा राज्य सरकार, केंद्र सरकार व लाभार्थी से रू० 4500/- की एकत्रित राशि प्रत्येक मछुआरे को दो माह के वर्जित काल के समय दो किस्तों में दी जाती है 		
सहायता का ब्योरा	रू॰ ३०००/- (रू॰ ६००/- राज्य भाग + रू॰ २४००/- केंद्र भाग)		
आयु सीमा	न्यूनतम 18-60 जेंडर सभी		
2) योजना घटक का नाम पात्रता	दुर्घटना बीमा योजना (प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना की पद्धति पर) 1. राज्य के सभी मछुआरो व मत्स्य पालक निःशुल्क बीमा योजना के पात्र हैं। मछुआरा/मत्स्य पालक मृत्यु अथवा पूर्ण/स्थाई अपंगता होने पर मु॰ 5.00 लाख रू॰ की राशि हेतु बीमित है। आंशिक अपंगता होने पर मु॰ 2.50 लाख रू॰ की राशि हेतु बीमित है तथा दुर्घटना होने पर Indoor patient (Hospitalization expenses) उपचार हेतु मु॰ 0.25 लाख रू॰ वित्तीय सहायता दी जाएगी। 2. बीमा कवच 12 माह के लिये होगा। 3. बीमा योजना (NFDB) के माध्यम से लागू की जायेगी।		
सहायता का ब्योरा	100 प्रतिशत		
आयु सीमा	18 से 70 वर्ष के बीच जेंडर सभी		
3) योजना घटक का नाम	मछुआरों व मत्स्य पालकों हेतु प्रशिक्षण शिविर योजना		
पात्रता	समय-समय पर मात्स्यिकी विभाग द्वारा मछुआरों व मत्स्य पालको के ज्ञानवर्धन हेतु प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जाता है जिसकी जानकारी विभाग के अधिकारियों से प्राप्त की जा सकती है । इस योजना के अंतर्गत बेरोजगार व्यक्ति जो भविष्य में मत्स्य पालन अपनाना चाहता है वो भी पात्र है।		
सहायता का ब्योरा	100 प्रतिशत केन्द्र पोषित		
आयु सीमा	<u></u>		
	कोई नहीं जेंडर सभी		
4) योजना घटक का नाम	तालाब नव निर्माण हेतु सहायता योजना (स्लूस गेट जलापूर्ति हेतु निर्माण कार्य तथा वायुसनचारन, आहार भंडार)		
	तालाब नव निर्माण हेतु सहायता योजना (स्लूस गेट जलापूर्ति हेतु निर्माण		

	अनुसूचित जनजाति, महिला और उनकी सहकारी सभाओं के लिए 60 प्रतिशत प्रति हेक्टेयर की दर से रू० 5,04,000/-, अधिकतम सीमा।		
आयु सीमा	कोई नहीं जेंडर सभी		
5) योजना घटक का नाम पात्रता	रियरिंग तालाब नव निर्माण हेतु सहायता योजना 1. लाभार्थी को ऋण मुक्त भूमि के सभी दस्तावेजों के प्रमाण प्रस्तुत करने		
diadi	होंगे। भूमि हेतु कोई भी वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी। पट्टे पर		
	ली गई भूमि मालिक भी वित्तीय सहायता हेतु पात्र है भूमि स्वयं की या पट्टे पर		
	ली गई हो सकती है। पट्टे पर ली गई भूमि न्यूनतम 7 वर्षों की अवधि अनिवार्य है।		
	2. निर्मित तालाब की न्यूनतम 1.5 मीटर गहराई होनी चाहिये। प्रति लाभार्थी		
	को अधिकतम २ हेक्टेयर क्षेत्रफल की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी तथा		
	सहकारी सभाओं इत्यादि को प्रति सदस्य 2 हेक्टेयर तथा अधिकतम 20		
	हेक्टेयर क्षेत्रफल पर वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी ।		
	3. परियोजना प्रस्ताव केवल माल्यिकी विभाग हिमाचल प्रदेश की सिफारिश		
	पर ही स्वीकार्य होगी		
सहायता का ब्योरा	इकाई लागत= रू॰ ७,००,०००/-, प्रति हेक्टेयर सामान्य जाति ४० प्रतिशत		
	रू॰ 2,80,000/- प्रति हेक्टेयर की उच्चतम सीमा, अनुसूचित जाति,		
	अनुसूचित जनजाति, महिला और उनकी सहकारी सभाओं के लिए 60 प्रतिशत		
	प्रति हेक्टेयर की दर से रू॰ 4,20,000/- अधिकतम सीमा।		
आयु सीमा	कोई नहीं जेंडर सभी		
6) योजना घटक का नाम	प्रथम वर्षीय आदानो हेतु सहायता योजना (बीज, खुराक, खाद व परिवहन)		
पात्रता	1. मत्स्य पालन निर्माण व मुरम्मत पर आदानो हेतु सहायता प्रदान की		
	जायेगी।		
	2. आदानों हेतु सहायता केवल प्रथम वर्ष में ही दी जायेगी ।		
	3. आदानो हेतु सहायता केवल तालाबों के पूर्ण रूप से मत्स्य पालन योग्य		
	होने पर दी जाएगीं।		
सहायता का ब्योरा	इकाई लागत= रू॰ ४,००,०००/-, प्रति हेक्टेयर सामान्य जाति ४० प्रतिशत		
	रू॰ 1,60,000/- प्रति हेक्टेयर की उच्चतम सीमा, अनुसूचित जाति,		
	अनुसूचित जनजाति, महिला और उनकी सहकारी सभाओं के लिए 60 प्रतिशत		
	प्रति हेक्टेयर की दर से रू॰ 2,40,000/- की अधिकतम सीमा।		
आयु सीमा	कोई नहीं जेंडर सभी		
7) योजना घटक का नाम	कार्प हैचरी निर्माण हेतु सहायता योजना		
पात्रता	1. लाभार्थी को ऋण मुक्त भूमि के सभी दस्तावेजों के प्रमाण प्रस्तुत करने		
	होंगे। भूमि स्वयं की या पट्टे पर ली गई हो सकती है पट्टे पर ली गई भूमि न्यूनतम 10 वर्षों की अवधि के लिए होनी अनिवार्य है		
	2. भूमि हेतु कोई भी वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी।		
	3. परियोजना रिपोर्ट केवल मात्स्यिकी विभाग हिमाचल प्रदेश की सिफारिश पर		
	ही स्वीकार्य होगी।		
	4. हैचरी में न्यूनतम 15 मिलियन (1.5 करोड़) फ्राई प्रति वर्ष उत्पादन होना		
	चाहिए। जिसका क्षेत्रफल न्यूनतम 0.5 हेक्टेयर होना अनिवार्य है।		
	5. हैचरी में ब्रूडर तालाब, नर्सरी तालाब, बिजली व पानी की आपूर्ति, छोटे		
	आकार की प्रयोगशाला इत्यादि की सुविधा होनी चाहिए।		
	6. हैचरी योग्य तकनीकी एवं कुशल स्टाफ द्वारा प्रबंधित होनी चाहिये।		
	7. लाभार्थी अन्य मत्स्य पालकों को मत्स्य बीज उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेंगें		
	8. निर्माण उपरांत हैचरी का प्रबंधन व संचालन लाभार्थी अपने खर्च पर करेगा।		
	9. हैचरी को प्रमाणित करने का व्यय भी इकाई लागत में से वहन करना		
गुनगाना का क्योग	अनिवार्य होगा।		
सहायता का ब्योरा	इकाई लागत= रू॰ 25,00,000/-, प्रति इकाई व 2 हेक्टेयर नर्सरी तालाबों		
	के निर्माण हेतु) सामान्य जाति ४० प्रतिशत रू॰ १०, ००,०००/- प्रति		
	इकाई की उच्चतम सीमा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और उनकी सहकारी सभाओं के लिए 60प्रतिशत प्रति इकाई की दर से रू०		
	ि जायम त्रियमस्य तमाजा यम् ।एए ७७प्रातरात । प्रात इकाइ का दर स रू०		

	15,00,000/- अधिकतम सीमा।		
आयु सीमा	कोई नहीं जेंडर सभी		
8) योजना घटक का नाम	ट्राउट इकाई निर्माण हेतु सहायता योजना		
पात्रता	1. लाभार्थी को ऋण मुक्त भूमि के सभी दस्तावेजों के प्रमाण प्रस्तुत करने		
	होंगे। भूमि स्वयं की या पट्टे पर ली गई हो सकती है । पट्टे पर ली गई भूमि न्यूनतम		
	7 वर्षों की अवधि के लिए होनी अनिवार्य है 2. भूमि हेतु कोई भी वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी। पट्टे पर ली गई		
	भूमि मालिक भी वित्तीय सहायता हेतु पात्र है।		
	3. प्रति लाभार्थी को केवल 4 इकाईयों पर वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी।		
	4. सहकारी सभाओं हेतु अधिकतम 10 इकाईयों हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की		
	जायेगी।		
सहायता का ब्योरा	इकाई लागत= रू॰३,००,०००/-, प्रति इकाई 17m*2m*1.5m सामान्य जाति		
	40 प्रतिशत रू॰ 1,20,000/- प्रति इकाई की अधिकतम सीमा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और उनकी सहकारी सभाओं के लिए		
	60प्रतिशत प्रति इकाई की दर से रू॰ 1,80,000/- अधिकतम सीमा।		
आयु सीमा	कोई नहीं जेंडर सभी		
9) योजना घटक का नाम	ट्राउट पालन के प्रथम वर्षीय आदानो (बीज, खुराक, परिवहन) हेतु		
	सहायता योजना		
पात्रता	1. आदानो हेतु वित्तीय सहायता केवल नव निर्मित ट्राउट रेसवेज पर ही देय		
	है। 2. आदानो हेतु वित्तीय सहायता केवल ट्राउट रेसवेज के पूर्ण रूप से मत्स्य		
	पालन योग्य होने पर ही दी जायेगी।		
सहायता का ब्योरा	इकाई लागत= रू॰2,50,000/-, प्रति इकाई सामान्य जाति ४० प्रतिशत रू॰		
	1,00,000/- प्रति इकाई की उच्चतम सीमा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित		
	जनजाति, महिला और उनकी सहकारी सभाओं के लिए ६०प्रतिशत प्रति		
	इकाई की दर से रू॰1,50,000/- अधिकतम सीमा।		
.थांग जीपा			
आयु सीमा	कोई नहीं जेंडर सभी		
10) योजना घटक का नाम	ट्राउट हैचरी निर्माण हेतु सहायता योजना		
	ट्राउट हैचरी निर्माण हेतु सहायता योजना 1. लाभार्थी को स्वयं अथवा पट्टे पर ली गई ऋण मुक्त भूमि के सभी दस्तावेजों		
10) योजना घटक का नाम	ट्राउट हैंचरी निर्माण हेतु सहायता योजना 1. लाभार्थी को स्वयं अथवा पट्टे पर ली गई ऋण मुक्त भूमि के सभी दस्तावेजों के प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। भूमि हेतु कोई भी वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी। पट्टे पर ली गई भूमि मालिक भी वित्तीय सहायता हेतु पात्र है		
10) योजना घटक का नाम	ट्राउट हैचरी निर्माण हेतु सहायता योजना 1. लाभार्थी को स्वयं अथवा पट्टे पर ली गई ऋण मुक्त भूमि के सभी दस्तावेजों के प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। भूमि हेतु कोई भी वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी। पट्टे पर ली गई भूमि मालिक भी वित्तीय सहायता हेतु पात्र है पट्टे की अवधि न्यूनतम 10 वर्ष के लिए होनी अनिवार्य है।		
10) योजना घटक का नाम	ट्राउट हैंचरी निर्माण हेतु सहायता योजना 1. लाभार्थी को स्वयं अथवा पट्टे पर ली गई ऋण मुक्त भूमि के सभी दस्तावेजों के प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। भूमि हेतु कोई भी वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी। पट्टे पर ली गई भूमि मालिक भी वित्तीय सहायता हेतु पात्र है पट्टे की अवधि न्यूनतम 10 वर्ष के लिए होनी अनिवार्य है। 2. परियोजना रिपोर्ट केवल माल्स्यिकी विभाग हिमाचल प्रदेश की सिफारिश पर		
10) योजना घटक का नाम	ट्राउट हैचरी निर्माण हेतु सहायता योजना 1. लाभार्थी को स्वयं अथवा पट्टे पर ली गई ऋण मुक्त भूमि के सभी दस्तावेजों के प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। भूमि हेतु कोई भी वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी। पट्टे पर ली गई भूमि मालिक भी वित्तीय सहायता हेतु पात्र है पट्टे की अवधि न्यूनतम 10 वर्ष के लिए होनी अनिवार्य है। 2. परियोजना रिपोर्ट केवल माल्स्यिकी विभाग हिमाचल प्रदेश की सिफारिश पर ही स्वीकार्य होगी।		
10) योजना घटक का नाम	ट्राउट हैचरी निर्माण हेतु सहायता योजना 1. लाभार्थी को स्वयं अथवा पट्टे पर ली गई ऋण मुक्त भूमि के सभी दस्तावेजों के प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। भूमि हेतु कोई भी वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी। पट्टे पर ली गई भूमि मालिक भी वित्तीय सहायता हेतु पात्र है पट्टे की अवधि न्यूनतम 10 वर्ष के लिए होनी अनिवार्य है। 2. परियोजना रिपोर्ट केवल माल्यिकी विभाग हिमाचल प्रदेश की सिफारिश पर ही स्वीकार्य होगी। 3. हैचरी में न्यूनतम 15.00 लाख ट्राउट बीज प्रति वर्ष का उत्पादन होना		
10) योजना घटक का नाम	ट्राउट हैचरी निर्माण हेतु सहायता योजना 1. लाभार्थी को स्वयं अथवा पट्टे पर ली गई ऋण मुक्त भूमि के सभी दस्तावेजों के प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। भूमि हेतु कोई भी वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी। पट्टे पर ली गई भूमि मालिक भी वित्तीय सहायता हेतु पात्र है पट्टे की अवधि न्यूनतम 10 वर्ष के लिए होनी अनिवार्य है। 2. परियोजना रिपोर्ट केवल माल्स्यिकी विभाग हिमाचल प्रदेश की सिफारिश पर ही स्वीकार्य होगी। 3. हैचरी में न्यूनतम 15.00 लाख ट्राउट बीज प्रति वर्ष का उत्पादन होना चाहिए। इसका न्यूनतम क्षेत्रफल 0.4 हेक्टेयर होना अनिवार्य है।		
10) योजना घटक का नाम	ट्राउट हैचरी निर्माण हेतु सहायता योजना 1. लाभार्थी को स्वयं अथवा पट्टे पर ली गई ऋण मुक्त भूमि के सभी दस्तावेजों के प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। भूमि हेतु कोई भी वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी। पट्टे पर ली गई भूमि मालिक भी वित्तीय सहायता हेतु पात्र है पट्टे की अवधि न्यूनतम 10 वर्ष के लिए होनी अनिवार्य है। 2. परियोजना रिपोर्ट केवल माल्यिकी विभाग हिमाचल प्रदेश की सिफारिश पर ही स्वीकार्य होगी। 3. हैचरी में न्यूनतम 15.00 लाख ट्राउट बीज प्रति वर्ष का उत्पादन होना		
10) योजना घटक का नाम	ट्राउट हैचरी निर्माण हेतु सहायता योजना 1. लाभार्थी को स्वयं अथवा पट्टे पर ली गई ऋण मुक्त भूमि के सभी दस्तावेजों के प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। भूमि हेतु कोई भी वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी। पट्टे पर ली गई भूमि मालिक भी वित्तीय सहायता हेतु पात्र है पट्टे की अवधि न्यूनतम 10 वर्ष के लिए होनी अनिवार्य है। 2. परियोजना रिपोर्ट केवल माल्स्यिकी विभाग हिमाचल प्रदेश की सिफारिश पर ही स्वीकार्य होगी। 3. हैचरी में न्यूनतम 15.00 लाख ट्राउट बीज प्रति वर्ष का उत्पादन होना चाहिए। इसका न्यूनतम क्षेत्रफल 0.4 हेक्टेयर होना अनिवार्य है। 4. हैचरी में हैचिंग ट्रफ, 4 शावजनक रेसवे, नर्सरी टैंक, स्टार्टर फीडर टैंक, बिजली व पानी इत्यादि की सुविधा होनी चाहिए। 5. हैचरी योग्य तकनीक एवं कुशल स्टाफ द्वारा प्रबंधित होनी चाहिये।		
10) योजना घटक का नाम	ट्राउट हैचरी निर्माण हेतु सहायता योजना 1. लाभार्थी को स्वयं अथवा पट्टे पर ली गई ऋण मुक्त भूमि के सभी दस्तावेजों के प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। भूमि हेतु कोई भी वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी। पट्टे पर ली गई भूमि मालिक भी वित्तीय सहायता हेतु पात्र है पट्टे की अविध न्यूनतम 10 वर्ष के लिए होनी अनिवार्य है। 2. परियोजना रिपोर्ट केवल माल्यिकी विभाग हिमाचल प्रदेश की सिफारिश पर ही स्वीकार्य होगी। 3. हैचरी में न्यूनतम 15.00 लाख ट्राउट बीज प्रति वर्ष का उत्पादन होना चाहिए। इसका न्यूनतम क्षेत्रफल 0.4 हेक्टेयर होना अनिवार्य है। 4. हैचरी में हैचिंग ट्रफ, 4 शावजनक रेसवे, नर्सरी टैंक, स्टार्टर फीडर टैंक, बिजली व पानी इत्यादि की सुविधा होनी चाहिए। 5. हैचरी योग्य तकनीक एवं कुशल स्टाफ द्वारा प्रबंधित होनी चाहिये। 6. लाभार्थी अन्य मत्स्य पालकों को मत्स्य बीज उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।		
10) योजना घटक का नाम	ट्राउट हैचरी निर्माण हेतु सहायता योजना 1. लाभार्थी को स्वयं अथवा पट्टे पर ली गई ऋण मुक्त भूमि के सभी दस्तावेजों के प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। भूमि हेतु कोई भी वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी। पट्टे पर ली गई भूमि मालिक भी वित्तीय सहायता हेतु पात्र है पट्टे की अविध न्यूनतम 10 वर्ष के लिए होनी अनिवार्य है। 2. परियोजना रिपोर्ट केवल माल्स्यिकी विभाग हिमाचल प्रदेश की सिफारिश पर ही स्वीकार्य होगी। 3. हैचरी में न्यूनतम 15.00 लाख ट्राउट बीज प्रति वर्ष का उत्पादन होना चाहिए। इसका न्यूनतम क्षेत्रफल 0.4 हेक्टेयर होना अनिवार्य है। 4. हैचरी में हैचिंग ट्रफ, 4 शावजनक रेसवे, नर्सरी टैंक, स्टार्टर फीडर टैंक, बिजली व पानी इत्यादि की सुविधा होनी चाहिए। 5. हैचरी योग्य तकनीक एवं कुशल स्टाफ द्वारा प्रबंधित होनी चाहिये।		
10) योजना घटक का नाम	ट्राउट हैचरी निर्माण हेतु सहायता योजना 1. लाभार्थी को स्वयं अथवा पट्टे पर ली गई ऋण मुक्त भूमि के सभी दस्तावेजों के प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। भूमि हेतु कोई भी वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी। पट्टे पर ली गई भूमि मालिक भी वित्तीय सहायता हेतु पात्र है पट्टे की अविध न्यूनतम 10 वर्ष के लिए होनी अनिवार्य है। 2. परियोजना रिपोर्ट केवल माल्यिकी विभाग हिमाचल प्रदेश की सिफारिश पर ही स्वीकार्य होगी। 3. हैचरी में न्यूनतम 15.00 लाख ट्राउट बीज प्रति वर्ष का उत्पादन होना चाहिए। इसका न्यूनतम क्षेत्रफल 0.4 हेक्टेयर होना अनिवार्य है। 4. हैचरी में हैचिंग ट्रफ, 4 शावजनक रेसवे, नर्सरी टैंक, स्टार्टर फीडर टैंक, बिजली व पानी इत्यादि की सुविधा होनी चाहिए। 5. हैचरी योग्य तकनीक एवं कुशल स्टाफ द्वारा प्रबंधित होनी चाहिये। 6. लाभार्थी अन्य मत्स्य पालकों को मत्स्य बीज उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।		
10) योजना घटक का नाम	 ट्राउट हैचरी निर्माण हेतु सहायता योजना 1. लाभार्थी को स्वयं अथवा पट्टे पर ली गई ऋण मुक्त भूमि के सभी दस्तावेजों के प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। भूमि हेतु कोई भी वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी। पट्टे पर ली गई भूमि मालिक भी वित्तीय सहायता हेतु पात्र है पट्टे की अवधि न्यूनतम 10 वर्ष के लिए होनी अनिवार्य है। 2. परियोजना रिपोर्ट केवल मात्स्यिकी विभाग हिमाचल प्रदेश की सिफारिश पर ही स्वीकार्य होगी। 3. हैचरी में न्यूनतम 15.00 लाख ट्राउट बीज प्रति वर्ष का उत्पादन होना चाहिए। इसका न्यूनतम क्षेत्रफल 0.4 हेक्टेयर होना अनिवार्य है। 4. हैचरी में हैचिंग ट्रफ, 4 शावजनक रेसवे, नर्सरी टैंक, स्टार्टर फीडर टैंक, बिजली व पानी इत्यादि की सुविधा होनी चाहिए। 5. हैचरी योग्य तकनीक एवं कुशल स्टाफ द्वारा प्रबंधित होनी चाहिये। 6. लाभार्थी अन्य मत्स्य पालकों को मत्स्य बीज उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। 7. निर्माण उपरांत हैचरी का प्रबंधन व संचालन लाभार्थी अपने खर्च पर करेगा। 8. हैचरी को प्रमाणित करने का व्यय भी इकाई लागत में से वहन करना अनिवार्य होगा। 		
10) योजना घटक का नाम	 ट्राउट हैचरी निर्माण हेतु सहायता योजना 1. लाभार्थी को स्वयं अथवा पट्टे पर ली गई ऋण मुक्त भूमि के सभी दस्तावेजों के प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। भूमि हेतु कोई भी वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी। पट्टे पर ली गई भूमि मालिक भी वित्तीय सहायता हेतु पात्र है पट्टे की अवधि न्यूनतम 10 वर्ष के लिए होनी अनिवार्य है। 2. परियोजना रिपोर्ट केवल माल्स्यिकी विभाग हिमाचल प्रदेश की सिफारिश पर ही स्वीकार्य होगी। 3. हैचरी में न्यूनतम 15.00 लाख ट्राउट बीज प्रति वर्ष का उत्पादन होना चाहिए। इसका न्यूनतम क्षेत्रफल 0.4 हेक्टेयर होना अनिवार्य है। 4. हैचरी में हैचिंग ट्रफ, 4 शावजनक रेसवे, नर्सरी टैंक, स्टार्टर फीडर टैंक, बिजली व पानी इत्यादि की सुविधा होनी चाहिए। 5. हैचरी योग्य तकनीक एवं कुशल स्टाफ द्वारा प्रबंधित होनी चाहिये। 6. लाभार्थी अन्य मत्स्य पालकों को मत्स्य बीज उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। 7. निर्माण उपरांत हैचरी का प्रबंधन व संचालन लाभार्थी अपने खर्च पर करेगा। 8. हैचरी को प्रमाणित करने का व्यय भी इकाई लागत में से वहन करना अनिवार्य होगा। इकाई लागत= रू० 50,00,000/-, प्रति इकाई सामान्य जाति 40 प्रतिशत 		
10) योजना घटक का नाम	 ट्राउट हैचरी निर्माण हेतु सहायता योजना 1. लाभार्थी को स्वयं अथवा पट्टे पर ली गई ऋण मुक्त भूमि के सभी दस्तावेजों के प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। भूमि हेतु कोई भी वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी। पट्टे पर ली गई भूमि मालिक भी वित्तीय सहायता हेतु पात्र है पट्टे की अवधि न्यूनतम 10 वर्ष के लिए होनी अनिवार्य है। 2. परियोजना रिपोर्ट केवल माल्स्यिकी विभाग हिमाचल प्रदेश की सिफारिश पर ही स्वीकार्य होगी। 3. हैचरी में न्यूनतम 15.00 लाख ट्राउट बीज प्रति वर्ष का उत्पादन होना चाहिए। इसका न्यूनतम क्षेत्रफल 0.4 हेक्टेयर होना अनिवार्य है। 4. हैचरी में हैचिंग ट्रफ, 4 शावजनक रेसवे, नर्सरी टैंक, स्टार्टर फीडर टैंक, बिजली व पानी इत्यादि की सुविधा होनी चाहिए। 5. हैचरी योग्य तकनीक एवं कुशल स्टाफ द्वारा प्रबंधित होनी चाहिये। 6. लाभार्थी अन्य मत्स्य पालकों को मत्स्य बीज उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। 7. निर्माण उपरांत हैचरी का प्रबंधन व संचालन लाभार्थी अपने खर्च पर करेगा। 8. हैचरी को प्रमाणित करने का व्यय भी इकाई लागत में से वहन करना अनिवार्य होगा। इकाई लागत= रू० 50,00,000/-, प्रति इकाई सामान्य जाति 40 प्रतिशत रू० 20,00,000/- प्रति इकाई की उच्चतम सीमा, अनुसूचित जाति, 		
10) योजना घटक का नाम	 ट्राउट हैचरी निर्माण हेतु सहायता योजना 1. लाभार्थी को स्वयं अथवा पट्टे पर ली गई ऋण मुक्त भूमि के सभी दस्तावेजों के प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। भूमि हेतु कोई भी वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी। पट्टे पर ली गई भूमि मालिक भी वित्तीय सहायता हेतु पात्र है पट्टे की अविध न्यूनतम 10 वर्ष के लिए होनी अनिवार्य है। 2. परियोजना रिपोर्ट केवल माल्स्यिकी विभाग हिमाचल प्रदेश की सिफारिश पर ही स्वीकार्य होगी। 3. हैचरी में न्यूनतम 15.00 लाख ट्राउट बीज प्रति वर्ष का उत्पादन होना चाहिए। इसका न्यूनतम क्षेत्रफल 0.4 हेक्टेयर होना अनिवार्य है। 4. हैचरी में हैचिंग ट्रफ, 4 शावजनक रेसवे, नर्सरी टैंक, स्टार्टर फीडर टैंक, बिजली व पानी इत्यादि की सुविधा होनी चाहिए। 5. हैचरी योग्य तकनीक एवं कुशल स्टाफ द्वारा प्रबंधित होनी चाहिये। 6. लाभार्थी अन्य मत्स्य पालकों को मत्स्य बीज उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। 7. निर्माण उपरांत हैचरी का प्रबंधन व संचालन लाभार्थी अपने खर्च पर करेगा। 8. हैचरी को प्रमाणित करने का व्यय भी इकाई लागत में से वहन करना अनिवार्य होगा। इकाई लागत= रू० 50,00,000/-, प्रति इकाई सामान्य जाति 40 प्रतिशत रू० 20,00,000/- प्रति इकाई की उच्चतम सीमा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और उनकी सहकारी सभाओं के लिए 60 प्रतिशत 		
10) योजना घटक का नाम पात्रता	2. पर हैचरी निर्माण हेतु सहायता योजना 1. लाभार्थी को स्वयं अथवा पट्टे पर ली गई ऋण मुक्त भूमि के सभी दस्तावेजों के प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। भूमि हेतु कोई भी वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी। पट्टे पर ली गई भूमि मालिक भी वित्तीय सहायता हेतु पात्र है पट्टे की अवधि न्यूनतम 10 वर्ष के लिए होनी अनिवार्य है। 2. परियोजना रिपोर्ट केवल माल्यिकी विभाग हिमाचल प्रदेश की सिफारिश पर ही स्वीकार्य होगी। 3. हैचरी में न्यूनतम 15.00 लाख ट्राउट बीज प्रति वर्ष का उत्पादन होना चाहिए। इसका न्यूनतम क्षेत्रफल 0.4 हेक्टेयर होना अनिवार्य है। 4. हैचरी में हैचिंग ट्रफ, 4 शावजनक रेसवे, नर्सरी टैंक, स्टार्टर फीडर टैंक, बिजली व पानी इत्यादि की सुविधा होनी चाहिए। 5. हैचरी योग्य तकनीक एवं कुशल स्टाफ द्वारा प्रबंधित होनी चाहिये। 6. लाभार्थी अन्य मत्स्य पालकों को मत्स्य बीज उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। 7. निर्माण उपरांत हैचरी का प्रबंधन व संचालन लाभार्थी अपने खर्च पर करेगा। 8. हैचरी को प्रमाणित करने का व्यय भी इकाई लागत में से वहन करना अनिवार्य होगा। इकाई लागत= रू० 50,00,000/-, प्रति इकाई सामान्य जाति 40 प्रतिशत रू० 20,00,000/- प्रति इकाई की उच्चतम सीमा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और उनकी सहकारी सभाओं के लिए 60 प्रतिशत प्रति इकाई की दर से रू० 30,00,000/- अधिकतम सीमा।		
10) योजना घटक का नाम	 ट्राउट हैचरी निर्माण हेतु सहायता योजना 1. लाभार्थी को स्वयं अथवा पट्टे पर ली गई ऋण मुक्त भूमि के सभी दस्तावेजों के प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। भूमि हेतु कोई भी वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी। पट्टे पर ली गई भूमि मालिक भी वित्तीय सहायता हेतु पात्र है पट्टे की अविध न्यूनतम 10 वर्ष के लिए होनी अनिवार्य है। 2. परियोजना रिपोर्ट केवल माल्स्यिकी विभाग हिमाचल प्रदेश की सिफारिश पर ही स्वीकार्य होगी। 3. हैचरी में न्यूनतम 15.00 लाख ट्राउट बीज प्रति वर्ष का उत्पादन होना चाहिए। इसका न्यूनतम क्षेत्रफल 0.4 हेक्टेयर होना अनिवार्य है। 4. हैचरी में हैचिंग ट्रफ, 4 शावजनक रेसवे, नर्सरी टैंक, स्टार्टर फीडर टैंक, बिजली व पानी इत्यादि की सुविधा होनी चाहिए। 5. हैचरी योग्य तकनीक एवं कुशल स्टाफ द्वारा प्रबंधित होनी चाहिये। 6. लाभार्थी अन्य मत्स्य पालकों को मत्स्य बीज उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। 7. निर्माण उपरांत हैचरी का प्रबंधन व संचालन लाभार्थी अपने खर्च पर करेगा 8. हैचरी को प्रमाणित करने का व्यय भी इकाई लागत में से वहन करना अनिवार्य होगा। इकाई लागत= रू० 50,00,000/-, प्रति इकाई की उच्चतम सीमा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और उनकी सहकारी सभाओं के लिए 60 प्रतिशत प्रति इकाई की दर से रू० 30,00,000/- अधिकतम सीमा। कोई नहीं जेंडर 		
10) योजना घटक का नाम पात्रता सहायता का ब्योरा आयु सीमा	2. पर हैचरी निर्माण हेतु सहायता योजना 1. लाभार्थी को स्वयं अथवा पट्टे पर ली गई ऋण मुक्त भूमि के सभी दस्तावेजों के प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। भूमि हेतु कोई भी वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी। पट्टे पर ली गई भूमि मालिक भी वित्तीय सहायता हेतु पात्र है पट्टे की अवधि न्यूनतम 10 वर्ष के लिए होनी अनिवार्य है। 2. परियोजना रिपोर्ट केवल माल्यिकी विभाग हिमाचल प्रदेश की सिफारिश पर ही स्वीकार्य होगी। 3. हैचरी में न्यूनतम 15.00 लाख ट्राउट बीज प्रति वर्ष का उत्पादन होना चाहिए। इसका न्यूनतम क्षेत्रफल 0.4 हेक्टेयर होना अनिवार्य है। 4. हैचरी में हैचिंग ट्रफ, 4 शावजनक रेसवे, नर्सरी टैंक, स्टार्टर फीडर टैंक, बिजली व पानी इत्यादि की सुविधा होनी चाहिए। 5. हैचरी योग्य तकनीक एवं कुशल स्टाफ द्वारा प्रबंधित होनी चाहिये। 6. लाभार्थी अन्य मत्स्य पालकों को मत्स्य बीज उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। 7. निर्माण उपरांत हैचरी का प्रबंधन व संचालन लाभार्थी अपने खर्च पर करेगा। 8. हैचरी को प्रमाणित करने का व्यय भी इकाई लागत में से वहन करना अनिवार्य होगा। इकाई लागत= रू० 50,00,000/-, प्रति इकाई सामान्य जाति 40 प्रतिशत रू० 20,00,000/- प्रति इकाई की उच्चतम सीमा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और उनकी सहकारी सभाओं के लिए 60 प्रतिशत प्रति इकाई की दर से रू० 30,00,000/- अधिकतम सीमा।		

	पट्टे पर ली गई भूमि मालिक भी वित्तीय सहायता हेतु पात्र है । पट्टे की अवधि न्यूनतम 10 वर्ष अनिवार्य है। 2. राज्य के बेरोजगार युवा/ महिला जिनके पास ऋण मुक्त भूमि उपलब्ध हो। 3. परन्तु यदि कोई लाभार्थी फीड मिल निर्माण हेतु नई भूमि क्रय करना चाहता है तो उस पर हिमाचल प्रदेश सरकार के निर्णय अनुसार केवल उप्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी ही देय होगी।		
	4. लाभार्थी को ऋण मुक्त भूमि के सभी दस्तावेजों के प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। भूमि हेतु कोई भी वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी। 5. परियोजना रिपोर्ट केवल मास्यिकी विभाग हिमाचल प्रदेश की सिफारिश पर		
	ही स्वीकार्य होगी। 6. फीड मील योग्य तकनीक एवं कुशल स्टाफ द्वारा प्रबंधित होनी चाहिये। 7. लाभार्थी अन्य मत्स्य पालकों को मत्स्य आहार उपलब्ध करवाना सुनिश्चित		
	करें। 8. निर्माण उपरांत फीड मील का प्रबंधन व संचालन लाभार्थी अपने खर्च पर करेगा ।		
सहायता का ब्योरा	इकाई लागत=30,00,000/-रु॰, प्रति इकाई सामान्य जाति 50 प्रतिशत रू॰ 15,00,000/- प्रति इकाई की उच्चतम सीमा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और उनकी सहकारी सभाओं के लिए 60प्रतिशत प्रति इकाई की दर से रू॰ 18,00,000/- अधिकतम सीमा।		
आयु सीमा	कोई नहीं जेंडर सभी		
12) योजना घटक का नाम	एक्वेरियम/सजावटी मछली के कियोस्क सहित मछली कियोस्क का निर्माण		
पात्रता	 लाभार्थी को ऋण मुक्त भूमि के सभी दस्तावेजों के प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। भूमि हेतु कोई भी वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी। पट्टे पर ली गई भूमि मालिक भी वित्तीय सहायता हेतु पात्र है पट्टे की अवधि न्यूनतम 10 वर्ष अनिवार्य है। लाभार्थी को ऋण मुक्त भूमि के सभी दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। भूमि हेतु कोई भी वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी। परियोजना प्रस्ताव केवल मात्स्यिकी विभाग हिमाचल प्रदेश की सिफारिश पर ही स्वीकार्य होगी। फिश आउटलेट का न्यूनतम आकार 100 वर्ग फीट होना चाहिए। अनु० जाति/अनु०जनजाति/महिलाओं व बेरोजगार युवाओं को वरीयता दी जाएगी। 		
सहायता का ब्योरा	इकाई लागत=10,00,000/-रु॰ प्रति इकाई सामान्य जाति ४०प्रतिशत रू॰ ४,00,000/- प्रति इकाई की उच्चतम सीमा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और उनकी सहकारी सभाओं के लिए ६०प्रतिशत प्रति इकाई की दर से रू॰ 6,00,000/- अधिकतम सीमा।		
आयु सीमा	कोई नहीं जेंडर सभी		
13) योजना घटक का नाम	बैकयार्ड सजावटी मछली पालन इकाई		
पात्रता	1. लाभार्थी को ऋण मुक्त भूमि के सभी दस्तावेजों के प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। भूमि हेतु कोई भी वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी। पट्टे पर ली गई भूमि मालिक भी वित्तीय सहायता हेतु पात्र है भूमि स्वयं की या पट्टे पर ली गई हो सकती है। पट्टे पर ली गई भूमि न्यूनतम ७ वर्षों की अविध अनिवार्य है।		
	2.परियोजना रिपोर्ट केवल मात्स्यिकी विभाग हिमाचल प्रदेश की सिफारिश पर ही स्वीकार्य होगी। 3. लाभार्थी के पास अपने घर के साथ जल स्त्रोत वाली न्यूनतम ३०० वर्ग		
	फीट भूमि होनी चाहिए । 4. इकाई में शेड, रियरिंग/कल्चर टैंक होने चाहिए।		
सहायता का ब्योरा	5. इकाई लागत में कैपिटल व ऑपरेशनल लागत सम्मिलित है। इकाई लागत= रू॰ 3,00,000/-, इकाई सामान्य जाति 40प्रतिशत (रू॰ 1,20,000/-) प्रति इकाई की अधिकतम सीमा, अनुसूचित जाति,		
	अनुसूचित जनजाति, महिला और उनकी सहकारी सभाओं के लिए 60प्रतिशत		

	प्रति इकाई की दर से रू॰ 1,80,000/- अधिकतम सीमा।		
आयु सीमा	कोई नहीं जेंडर सभी		
14) योजना घटक का नाम	मध्यम स्केल सजावटी मछली पालन इकाई		
पात्रता	1. लाभार्थी को ऋण मुक्त भूमि के सभी दस्तावेजों के प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। भूमि हेतु कोई भी वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी। पट्टे पर ली गई भूमि मालिक भी वित्तीय सहायता हेतु पात्र है भूमि स्वयं की या पट्टे पर ली गई हो सकती है। पट्टे पर ली गई भूमि न्यूनतम ७ वर्षों की अविध अनिवार्य है।		
	2.परियोजना रिपोर्ट केवल मास्यिकी विभाग हिमाचल प्रदेश की सिफारिश पर ही स्वीकार्य होगी।		
	3. लाभार्थी के पास अपने घर के साथ जल स्त्रोत वाली न्यूनतम 150 वर्गमीटर भूमि होनी चाहिए ।		
	4. इकाई में शेड, रियरिंग/कल्चर टैंक होने चाहिए। 5. इकाई लागत में कैपिटल व् ऑपरेशनल लागत सम्मिलित है।		
सहायता का ब्योरा	इकाई लागत= रू० ४,00,000/-, इकाई सामान्य जाति ४० प्रतिशत		
	(रू॰ 3,20,000/-) प्रति इकाई की अधिकतम सीमा, अनुसूचित जाति,		
	अनुसूचित जनजाति, महिला और उनकी सहकारी सभाओं के लिए 60 प्रतिशत प्रति इकाई की दर से रू॰ 4,80,000/- अधिकतम सीमा।		
आयु सीमा	कोई नहीं जेंडर सभी		
15) योजना घटक का नाम	मध्यम बायोफ्लोक कल्चर प्रणाली (4 मीटर व्यास के 25 टैंक और 1.5 मीटर ऊँचाई)		
पात्रता	1. लाभार्थी को ऋण मुक्त भूमि के सभी दस्तावेजों के प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे । भूमि हेतु कोई भी वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी । पट्टे पर ली		
	गई भूमि मालिक भी वित्तीय सहायता हेतु पात्र है भूमि स्वयं की या पट्टे पर ली गई हो सकती है। पट्टे पर ली गई भूमि न्यूनतम 10 वर्षों की अवधि		
	अनिवार्य है । 2. प्रति टैंक की न्यूनतम 1.5 मीटर गहराई होनी चाहिए । प्रति लाभार्थी को अधिकतम 1 इकाई की ही वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी तथा सहकारी सभाओं इत्यादि को अधिकतम 3 इकाईयों पर वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी ।		
	3.परियोजना रिपोर्ट केवल मात्स्यिकी विभाग हिमाचल प्रदेश की सिफारिश पर ही स्वीकार्य होगी।		
	4. जल शुद्धिकरण इकाई अनिवार्य है।		
	5.मत्स्य बीज, आहार व विप्पणन व्यवस्था लाभार्थी को स्वयं करनी होगी। 6. विदेशी मछलियों को आयात करने हेतु सरकार से अनुमति अनिवार्य है।		
सहायता का ब्योरा	इकाई लागत रू॰ 25,00,000/-, प्रति इकाई सामान्य जाति ४०प्रतिशत (रू॰ १०,००,०००/-) प्रति इकाई की अधिकतम सीमा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और उनकी सहकारी सभाओं के लिए ६०प्रतिशत		
भाग जीगा	प्रति इकाई की दर से रू॰ 15,00,000/- अधिकतम सीमा। कोई नहीं जेंडर सभी		
आयु सीमा 16) योजना घटक का नाम	छोटे बायोफ्लोक कल्चर प्रणाली (4 मीटर व्यास के 7 टैंक और 1.5		
	मीटर ऊँचाई		
पात्रता	 1. लाभार्थी को ऋण मुक्त भूमि के सभी दस्तावेजों के प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। भूमि हेतु कोई भी वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी। पट्टे पर ली गई भूमि मालिक भी वित्तीय सहायता हेतु पात्र है भूमि स्वयं की या पट्टे पर ली गई हो सकती है। पट्टे पर ली गई भूमि न्यूनतम10 वर्षों की अविध अनिवार्य है। 2. प्रति टैंक की न्यूनतम 1.5 मीटर गहराई होनी चाहिए। प्रति लाभार्थी को अधिकतम 1 इकाई क्षेत्रफल की ही वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी तथा 		
	सहकारी सभाओं इत्यादि को अधिकतम 4 इकाईयों पर वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी । 3.परियोजना रिपोर्ट केवल माल्यिकी विभाग हिमाचल प्रदेश की सिफारिश पर		

	ही स्वीकार्य होगी।		
	4. जल शुद्धिकरण इकाई अनिवार्य है।		
	5. मत्स्य बीज, आहार व विप्पणन व्यवस्था लाभार्थी को स्वयं करनी होगी।		
	6. विदेशी मछलियों को आयात करने हेतु सरकार से अनुमति अनिवार्य है।		
सहायता का ब्योरा	इकाई लागत= रू॰ ७, ५०,०००/-, प्रति इकाई) सामान्य जाति ४० प्रतिशत		
	(रू॰ ३,००,०००/-) प्रति इकाई की अधिकतम सीमा, अनुसूचित जाति,		
	अनुसूचित जनजाति, महिला और उनकी सहकारी सभाओं के लिए 60 प्रतिशत		
	प्रति इकाई की दर से रू॰ 4,50,000/- अधिकतम सीमा।		
आयु सीमा	कोई नहीं जेंडर सभी		
17) योजना घटक का नाम	बड़े आर. ए. एस. की स्थापना (न्यूनतम 90 मीटर क्यूब/टैंक की क्षमता और मछली उत्पादन 40 टन/फसल के 8 टैंकों के साथ)		
पात्रता	 लाभार्थी को ऋण मुक्त भूमि के सभी दस्तावेजों के प्रमाण प्रस्तुत करने 		
	होंगे । भूमि हेतु कोई भी वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी । पट्टे		
	पर ली गई भूमि मालिक भी वित्तीय सहायता हेतु पात्र है भूमि स्वयं की या		
	पट्टे पर ली गई हो सकती है । पट्टे पर ली गई भूमि न्यूनतम 10 वर्षों की		
	अवधि अनिवार्य है।		
	2. प्रति टैंक की न्यूनतम 1.5 मीटर गहराई होनी चाहिये। प्रति लाभार्थी को		
	अधिकतम 1 इकाई क्षेत्रफल की ही वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी तथा		
	सहकारी सभाओं इत्यादि को अधिकतम 2 इकाईयों पर वित्तीय सहायता		
	प्रदान की जायेगी		
	3. परियोजना रिपोर्ट केवल मात्स्यिकी विभाग हिमाचल प्रदेश की सिफारिश		
	पर ही स्वीकार्य होगी।		
	4. जल शुद्धिकरण इकाई अनिवार्य है।		
	5. मत्स्य बीज, आहार व् विप्पण व्यवस्था लाभार्थी को स्वयं करनी होगी।		
	6. विदेशी मछिलयों को आयात करने हेतु सरकार से अनुमित अनिवार्य है।		
सहायता का ब्योरा	इकाई लागत= रू॰ ५०,००,०००/-, प्रति इकाई) सामान्य जाति ४० प्रतिशत		
	(रू॰ २०,००,०००/-) प्रति इकाई की अधिकतम सीमा, अनुसूचित जाति,		
	अनुसूचित जनजाति, महिला और उनकी सहकारी सभाओं के लिए 60 प्रतिशत		
	प्रति इकाई की दर से रू॰ 30,00,000/- अधिकतम सीमा।		
आयु सीमा	कोई नहीं जेंडर सभी		
18) योजना घटक का नाम	शीत जल की मछली पालन के लिए बड़े आर.ए.एस. की स्थापना		
	न्यूनतम् ५०		
	क्यूबिक मीटर/ टैंक क्षमता और 10 टन/फसल की मछली उत्पादन क्षमता के 10 टैंक)		
पात्रता	1. लाभार्थी को ऋण मुक्त भूमि के सभी दस्तावेजों के प्रमाण प्रस्तुत करने		
	होंगे। भूमि हेतु कोई भी वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी। पट्टे पर		
	ली गई भूमि मालिक भी वित्तीय सहायता हेतु पात्र है भूमि स्वयं की या पट्टे		
	पर ली गई हो सकती है। पट्टे पर ली गई भूमि न्यूनतम 10 वर्षों की अवधि		
	के लिए होनी अनिवार्य है।		
	 प्रित टैंक की न्यूनतम 1.5 मीटर गहराई होनी चाहिये। प्रित लाभार्थी को अधिकतम 1 इकाई क्षेत्रफल की ही वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी तथा 		
	सहकारी सभाओं इत्यादि को अधिकतम 2 इकाईयों पर वित्तीय सहायता		
	प्रदान की जायेगी ।		
	उ.परियोजना रिपोर्ट केवल मािस्यकी विभाग हिमाचल प्रदेश की सिफारिश पर		
	ही स्वीकार्य होगी।		
	4. जल शुद्धिकरण इकाई अनिवार्य है।		
	5. मत्स्य बीज, आहार व विप्पण व्यवस्था लाभार्थी को स्वयं करनी होगी।		
	6. विदेशी मछलियों को आयात करने हेतु सरकार से अनुमति अनिवार्य है।		
सहायता का ब्योरा	इकाई लागत= रू॰ 50,00,000/-, प्रति इकाईसामान्य जाति ४० प्रतिशत		
	(रू॰ 20,0 0 ,000/-) प्रति इकाई की अधिकतम सीमा, अनुसूचित जाति,		
	अनुसूचित जनजाति, महिला और उनकी सहकारी सभाओं के लिए 60 प्रतिशत		
	प्रति इकाई की दर से रू॰ 30,00,000/- अधिकतम सीमा।		
<u> </u>	1 Section 1 Sect		

आयु सीमा	कोई नहीं	जेंडर	सभी	
19) योजना घटक का नाम	मीठे जल व इनपट कॉ	वाले क्षेत्रों के लि स्ट भी शामिल है	ए बायोफ्लॉक तालाबों का निर्माण जिसमें (0.1 हेक्टयेर की एक इकाई)	
पात्रता			ने के सभी दस्तावेजों के प्रमाण प्रस्तुत करने	
	होंगे। भूगि	में हेतु कोई भी वि	त्तीय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी। पट्टे पर	
			ोय सहायता हेतु पात्र है भूमि स्वयं की या पट्टे	
	के लिए अ		ट्टे पर ली गई भूमि न्यूनतम 7 वर्षों की अवधि	
			5 मीटर गहराई होनी चाहिये। प्रति लाभार्थी	
	को अधिक	तम 0.1 हेक्टेयर	की 2 इकाईयों की वित्तीय सहायता प्रदान की	
	जाएगी तथा सहकारी सभाओं इत्यादि को प्रति सदस्य 2 इकाईयां तथा अधिकतम 20 इकाईयों पर वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी ।			
	अधिकतम २० इकाइया पर वित्ताय सहायता प्रदान की जायगा 3 परियोजना रिपोर्ट केवल मास्यिकी विभाग हिमाचल प्रदेश की सिफारिश पर			
	ही स्वीकार्य		विकास विकास हिमायरा प्रदेश की रिकारिश वर	
सहायता का ब्योरा			/-, प्रति इकाई सामान्य जाति 40 प्रतिशत	
			गई की अधिकतम सीमा, अनुसूचित जाति,	
			उनकी सहकारी सभाओं के लिए 60 प्रतिशत	
आयु सीमा	कोई नहीं	जेंडर जेंडर	0,000/- अधिकतम सीमा। सभी	
20) योजना घटक का नाम		का निर्माण (न्यून	तम 50 टन क्षमता का प्लांट)	
पात्रता	1. लाभार्थी	को ऋण मुक्त भू	में के सभी दस्तावेजों के प्रमाण प्रस्तुत करने	
			त्तीय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी। पट्टे पर	
			ोय सहायता हेतु पात्र है भूमि स्वयं की या पट्टे । पट्टे पर ली गई भूमि न्यूनतम 10 वर्षों की	
		र हा संपरता है। लिए अनिवार्य है।	। पष्ट पर सा गई नाम न्यूरातम १० वर्षा परा	
			स्यकी विभाग हिमाचल प्रदेश की सिफारिश पर	
		ही स्वीकार्य होगी।		
			गतिविधियों हेतु प्रयोग में लाये जाएंगे।	
सहायता का ब्योरा			त लाभार्थी द्वारा वहन की जायेगी। 207-, प्रति इकाई सामान्य जाति 40 प्रतिशत	
Merchan de Cart			काई की अधिकतम सीमा, अनुसूचित जाति,	
	अनुसूचित जनजाति, महिला और उनकी सहकारी सभाओं के लिए 60 प्रतिशत			
			00,000/- अधिकतम सीमा।	
आयु सीमा 21) योजना घटक का नाम	कोई नहीं	जेंडर न (Refrigerated	सभी Vohicle	
पात्रता			प्रभाग हिमाचल प्रदेश की सिफारिश	
		कार्य होगी।		
			गतिविधियों हेतु प्रयोग में लाये जाएंगे।	
गुनाम्य का कोग			लाभार्थी द्वारा वहन की जायेगी। /-, प्रति इकाई सामान्य जाति 40 प्रतिशत	
सहायता का ब्योरा				
	(रू॰ 10,00,000/-) प्रति इकाई की अधिकतम सीमा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और उनकी सहकारी सभाओं के लिए 60 प्रतिशत			
	प्रति इकाईकी	दर से रू॰ 15,0	0,000/- अधिकतम सीमा।	
आयु सीमा	कोई नहीं	जेंडर	सभी	
22) योजना घटक का नाम पात्रता	इंसुलेटेड वाह		ात्स्यिकी विभाग हिमाचल प्रदेश की सिफारिश	
HIANI		॥ १९५१८ कवल म कार्य होगी	गारवरम् ।वनाम ।वनावरा प्रवस पम ।विभारस	
	-		गतिविधियों हेतु प्रयोग में लाये जाएंगे।	
	3. रख-रखा	व व संचालन लागत	न लाभार्थी द्वारा वहन की जायेगी ।	
सहायता का ब्योरा			/-, प्रति इकाई सामान्य जाति ४०प्रतिशत	
			गई की अधिकतम सीमा, अनुसूचित जाति, उनकी सहकारी सभाओं के लिए 60प्रतिशत	
	जनुत्रायत जन	जात, नाहला जा	טיואיז לופאיזלו לוייוטוו אי ולוץ סטאולאלו	

	प्रति इकाई की दर से रू॰ 12,00,000/- अधिकतम सीमा।		
आयु सीमा	कोई नहीं जेंडर सभी		
23) योजना घटक का नाम	आइस बॉक्स के साथ मोटर साइकिल		
पात्रता	1.परियोजना रिपोर्ट केवल मात्स्यिकी विभाग हिमाचल प्रदेश की सिफारिश पर ही स्वीकार्य होगी ।		
	 केवल मत्स्य पालन सम्बन्धी गतिविधियों हेतु प्रयोग में लाये जाएंगे। रख-रखाव व संचालन लागत लाभार्थी द्वारा वहन की जायेगी। 		
सहायता का ब्योरा	इकाई लागत= रू० 75,000/-, प्रति इकाई सामान्य जाति ४०प्रतिशत (रू०		
राहाबता का ज्यारा	30,000/-) प्रति इकाई की अधिकतम सीमा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित		
	जनजाति, महिला और उनकी सहकारी सभाओं के लिए 60प्रतिशत प्रति		
	इकाई की दर से रू॰ 45,000/- अधिकतम सीमा।		
आयु सीमा	कोई नहीं जेंडर सभी		
24) योजना घटक का नाम	आइस बॉक्स के साथ तीन व्हीलर		
पात्रता	 परियोजना रिपोर्ट केवल माि्स्यिकी विभाग हिमाचल प्रदेश की सिफारिश 		
	पर ही स्वीकार्य होगी।		
	2. केवल मत्स्य पालन सम्बन्धी गतिविधियों हेतु प्रयोग में लाये जाएंगे।		
	3. रख-रखाव व संचालन लागत लाभार्थी द्वारा वहन की जायेगी		
सहायता का ब्योरा	इकाई लागत= रू॰ ३,००,०००/-, प्रति इकाई सामान्य जाति ४० प्रतिशत		
	(रू॰ 1,20,000/-) प्रति इकाई की अधिकतम सीमा, अनुसूचित जाति,		
	अनुसूचित जनजाति, महिला और उनकी सहकारी सभाओं के लिए 60 प्रतिशत		
आयु सीमा	प्रति हेक्टेयर इकाई की दर से रू॰ 1,80,000/- अधिकतम सीमा। कोई नहीं जेंडर सभी		
25) योजना घटक का नाम	न्यूनतम 10 टन क्षमता का आइस प्लांट		
पात्रता	1. लाभार्थी को ऋण मुक्त भूमि के सभी दस्तावेजों के प्रमाण प्रस्तुत करने		
417(1)	होंगे। भूमि हेतु कोई भी वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी। पट्टे		
	ली गई भूमि मालिक भी वित्तीय सहायता हेतु पात्र है भूमि स्वयं की या प		
	पर ली गई हो सकती है। पट्टे पर ली गई भूमि न्यूनतम 10 वर्षों की अवधि		
	के लिए अनिवार्य है।		
	2.परियोजना रिपोर्ट केवल मास्यिकी विभाग हिमाचल प्रदेश की सिफारिश पर		
	ही स्वीकार्य होगी।		
	3. केवल मत्स्य पालन सम्बन्धी गतिविधियों हेतु प्रयोग में लाये जाएंगे।		
	4.रख-रखाव व संचालन लागत लाभार्थी द्वारा वहन की जायेगी ।		
सहायता का ब्योरा	4.रख-रखाव व संचालन लागत लाभार्थी द्वारा वहन की जायेगी । इकाई लागत= रू॰ ४०,००,०००/-, प्रति इकाई सामान्य जाति ४० प्रतिशत		
सहायता का ब्योरा	4.रख-रखाव व संचालन लागत लाभार्थी द्वारा वहन की जायेगी । इकाई लागत= रू॰ ४०,००,०००/-, प्रति इकाई सामान्य जाति ४० प्रतिशत (रू॰ १६,००,०००/-) प्रति इकाई की अधिकतम सीमा, अनुसूचित जाति,		
सहायता का ब्योरा	4.रख-रखाव व संचालन लागत लाभार्थी द्वारा वहन की जायेगी । इकाई लागत= रू॰ ४०,00,000/-, प्रति इकाई सामान्य जाति ४० प्रतिशत (रू॰ १६,००,०००/-) प्रति इकाई की अधिकतम सीमा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और उनकी सहकारी सभाओं के लिए ६० प्रतिशत		
	4.रख-रखाव व संचालन लागत लाभार्थी द्वारा वहन की जायेगी इकाई लागत= रू॰ ४०,00,000/-, प्रति इकाई सामान्य जाति ४० प्रतिशत (रू॰ 16,00,000/-) प्रति इकाई की अधिकतम सीमा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और उनकी सहकारी सभाओं के लिए ६० प्रतिशत प्रति इकाई की दर से रू॰ 24,00,000/- अधिकतम सीमा।		
आयु सीमा	4.रख-रखाव व संचालन लागत लाभार्थी द्वारा वहन की जायेगी इकाई लागत= रू॰ ४०,00,000/-, प्रति इकाई सामान्य जाति ४० प्रतिशत (रू॰ 16,00,000/-) प्रति इकाई की अधिकतम सीमा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और उनकी सहकारी सभाओं के लिए ६० प्रतिशत प्रति इकाई की दर से रू॰ 24,00,000/- अधिकतम सीमा। कोई नहीं जेंडर सभी		
आयु सीमा 26) योजना घटक का नाम	4.रख-रखाव व संचालन लागत लाभार्थी द्वारा वहन की जायेगी इकाई लागत= रू॰ ४०,00,000/-, प्रति इकाई सामान्य जाति ४० प्रतिशत (रू॰ 16,00,000/-) प्रति इकाई की अधिकतम सीमा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और उनकी सहकारी सभाओं के लिए ६० प्रतिशत प्रति इकाई की दर से रू॰ 24,00,000/- अधिकतम सीमा। कोई नहीं जेंडर सभी जलाशय के मछुआरों हेतु बोट व जाल		
आयु सीमा	4. रख-रखाव व संचालन लागत लाभार्थी द्वारा वहन की जायेगी इकाई लागत= रू॰ 40,00,000/-, प्रति इकाई सामान्य जाति 40 प्रतिशत (रू॰ 16,00,000/-) प्रति इकाई की अधिकतम सीमा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और उनकी सहकारी सभाओं के लिए 60 प्रतिशत प्रति इकाई की दर से रू॰ 24,00,000/- अधिकतम सीमा। कोई नहीं जेंडर सभी जलाशय के मछुआरों हेतु बोट व जाल 1. राज्य के जलाशयों के सभी सक्रीय मछुआरे इस योजना के अंतर्गत पात्र		
आयु सीमा 26) योजना घटक का नाम	4.रख-रखाव व संचालन लागत लाभार्थी द्वारा वहन की जायेगी इकाई लागत= रू॰ ४०,00,000/-, प्रति इकाई सामान्य जाति ४० प्रतिशत (रू॰ 16,00,000/-) प्रति इकाई की अधिकतम सीमा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और उनकी सहकारी सभाओं के लिए ६० प्रतिशत प्रति इकाई की दर से रू॰ 24,00,000/- अधिकतम सीमा। कोई नहीं जेंडर सभी जलाशय के मछुआरों हेतु बोट व जाल 1. राज्य के जलाशयों के सभी सक्रीय मछुआरे इस योजना के अंतर्गत पात्र है।		
आयु सीमा 26) योजना घटक का नाम	4. रख-रखाव व संचालन लागत लाभार्थी द्वारा वहन की जायेगी इकाई लागत= रू॰ 40,00,000/-, प्रति इकाई सामान्य जाति 40 प्रतिशत (रू॰ 16,00,000/-) प्रति इकाई की अधिकतम सीमा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और उनकी सहकारी सभाओं के लिए 60 प्रतिशत प्रति इकाई की दर से रू॰ 24,00,000/- अधिकतम सीमा। कोई नहीं जेंडर सभी जलाशय के मछुआरों हेतु बोट व जाल 1. राज्य के जलाशयों के सभी सक्रीय मछुआरे इस योजना के अंतर्गत पात्र		
आयु सीमा 26) योजना घटक का नाम	4.रख-रखाव व संचालन लागत लाभार्थी द्वारा वहन की जायेगी इकाई लागत= रू॰ ४०,00,000/-, प्रति इकाई सामान्य जाति ४० प्रतिशत (रू॰ 16,00,000/-) प्रति इकाई की अधिकतम सीमा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और उनकी सहकारी सभाओं के लिए ६० प्रतिशत प्रति इकाई की दर से रू॰ 24,00,000/- अधिकतम सीमा। कोई नहीं जेंडर सभी जलाशय के मछुआरों हेतु बोट व जाल 1. राज्य के जलाशयों के सभी सक्रीय मछुआरे इस योजना के अंतर्गत पात्र है। 2.परियोजना रिपोर्ट केवल मात्स्यिकी विभाग हिमाचल प्रदेश की सिफारिश पर ही स्वीकार्य होगी । 3. रख-रखाव व संचालन लागत लाभार्थी द्वारा वहन की जायेगी ।		
आयु सीमा 26) योजना घटक का नाम	4. रख-रखाव व संचालन लागत लाभार्थी द्वारा वहन की जायेगी इकाई लागत= रू० 40,00,000/-, प्रति इकाई सामान्य जाति 40 प्रतिशत (रू० 16,00,000/-) प्रति इकाई की अधिकतम सीमा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मिहला और उनकी सहकारी सभाओं के लिए 60 प्रतिशत प्रति इकाई की दर से रू० 24,00,000/- अधिकतम सीमा। कोई नहीं जेंडर सभी जलाशय के मछुआरों हेतु बोट व जाल 1. राज्य के जलाशयों के सभी सक्रीय मछुआरे इस योजना के अंतर्गत पात्र है। 2. परियोजना रिपोर्ट केवल मास्यिकी विभाग हिमाचल प्रदेश की सिफारिश पर ही स्वीकार्य होगी 3. रख-रखाव व संचालन लागत लाभार्थी द्वारा वहन की जायेगी इकाई लागत= रू० 50,000/-, प्रति इकाई सामान्य जाति 40प्रतिशत (रू०		
आयु सीमा 26) योजना घटक का नाम पात्रता	4. रख-रखाव व संचालन लागत लाभार्थी द्वारा वहन की जायेगी इकाई लागत= रू० 40,00,000/-, प्रति इकाई सामान्य जाति 40 प्रतिशत (रू० 16,00,000/-) प्रति इकाई की अधिकतम सीमा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मिहला और उनकी सहकारी सभाओं के लिए 60 प्रतिशत प्रति इकाई की दर से रू० 24,00,000/- अधिकतम सीमा। कोई नहीं जेंडर सभी जलाशय के मछुआरों हेतु बोट व जाल 1. राज्य के जलाशयों के सभी सक्रीय मछुआरे इस योजना के अंतर्गत पात्र है। 2.परियोजना रिपोर्ट केवल मात्स्यिकी विभाग हिमाचल प्रदेश की सिफारिश पर ही स्वीकार्य होगी 3. रख-रखाव व संचालन लागत लाभार्थी द्वारा वहन की जायेगी इकाई लागत= रू० 50,000/-, प्रति इकाई सामान्य जाति 40प्रतिशत (रू० 20,000/) प्रति इकाई की अधिकतम सीमा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित		
आयु सीमा 26) योजना घटक का नाम पात्रता	4.रख-रखाव व संचालन लागत लाभार्थी द्वारा वहन की जायेगी इकाई लागत= रू० 40,00,000/-, प्रति इकाई सामान्य जाति 40 प्रतिशत (रू० 16,00,000/-) प्रति इकाई की अधिकतम सीमा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मिहला और उनकी सहकारी सभाओं के लिए 60 प्रतिशत प्रति इकाई की दर से रू० 24,00,000/- अधिकतम सीमा। कोई नहीं जेंडर सभी जलाश्य के मछुआरों हेतु बोट व जाल 1. राज्य के जलाश्यों के सभी सक्रीय मछुआरे इस योजना के अंतर्गत पात्र है। 2.परियोजना रिपोर्ट केवल मात्स्यिकी विभाग हिमाचल प्रदेश की सिफारिश पर ही स्वीकार्य होगी 3. रख-रखाव व संचालन लागत लाभार्थी द्वारा वहन की जायेगी इकाई लागत= रू० 50,000/-, प्रति इकाई सामान्य जाति 40प्रतिशत (रू० 20,000/) प्रति इकाई की अधिकतम सीमा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और उनकी सहकारी सभाओं के लिए 60प्रतिशत प्रति		
आयु सीमा 26) योजना घटक का नाम पात्रता सहायता का ब्योरा	4.रख-रखाव व संचालन लागत लाभार्थी द्वारा वहन की जायेगी इकाई लागत= रू॰ ४०,००,०००/-, प्रति इकाई सामान्य जाति ४० प्रतिशत (रू॰ 16,००,०००/-) प्रति इकाई की अधिकतम सीमा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मिहला और उनकी सहकारी सभाओं के लिए ६० प्रतिशत प्रति इकाई की दर से रू॰ 24,००,०००/- अधिकतम सीमा। कोई नहीं जेंडर सभी जलाशय के मछुआरों हेतु बोट व जाल 1. राज्य के जलाशयों के सभी सक्रीय मछुआरे इस योजना के अंतर्गत पात्र है। 2.परियोजना रिपोर्ट केवल मास्यिकी विभाग हिमाचल प्रदेश की सिफारिश पर ही स्वीकार्य होगी 3. रख-रखाव व संचालन लागत लाभार्थी द्वारा वहन की जायेगी इकाई लागत= रू॰ 50,000/-, प्रति इकाई सामान्य जाति ४०प्रतिशत (रू॰ 20,000/) प्रति इकाई की अधिकतम सीमा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और उनकी सहकारी सभाओं के लिए ६०प्रतिशत प्रति इकाई की दर से 30,000/- अधिकतम सीमा।		
आयु सीमा 26) योजना घटक का नाम पात्रता	4.रख-रखाव व संचालन लागत लाभार्थी द्वारा वहन की जायेगी इकाई लागत= रू० 40,00,000/-, प्रति इकाई सामान्य जाति 40 प्रतिशत (रू० 16,00,000/-) प्रति इकाई की अधिकतम सीमा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मिहला और उनकी सहकारी सभाओं के लिए 60 प्रतिशत प्रति इकाई की दर से रू० 24,00,000/- अधिकतम सीमा। कोई नहीं जेंडर सभी जलाश्य के मछुआरों हेतु बोट व जाल 1. राज्य के जलाश्यों के सभी सक्रीय मछुआरे इस योजना के अंतर्गत पात्र है। 2.परियोजना रिपोर्ट केवल मात्स्यिकी विभाग हिमाचल प्रदेश की सिफारिश पर ही स्वीकार्य होगी 3. रख-रखाव व संचालन लागत लाभार्थी द्वारा वहन की जायेगी इकाई लागत= रू० 50,000/-, प्रति इकाई सामान्य जाति 40प्रतिशत (रू० 20,000/) प्रति इकाई की अधिकतम सीमा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और उनकी सहकारी सभाओं के लिए 60प्रतिशत प्रति		
आयु सीमा 26) योजना घटक का नाम पात्रता सहायता का ब्योरा	4.रख-रखाव व संचालन लागत लाभार्थी द्वारा वहन की जायेगी इकाई लागत= रू॰ ४०,००,०००/-, प्रति इकाई सामान्य जाति ४० प्रतिशत (रू॰ 16,००,०००/-) प्रति इकाई की अधिकतम सीमा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मिहला और उनकी सहकारी सभाओं के लिए ६० प्रतिशत प्रति इकाई की दर से रू॰ 24,००,०००/- अधिकतम सीमा। कोई नहीं जेंडर सभी जलाशय के मछुआरों हेतु बोट व जाल 1. राज्य के जलाशयों के सभी सक्रीय मछुआरे इस योजना के अंतर्गत पात्र है। 2.परियोजना रिपोर्ट केवल मास्यिकी विभाग हिमाचल प्रदेश की सिफारिश पर ही स्वीकार्य होगी 3. रख-रखाव व संचालन लागत लाभार्थी द्वारा वहन की जायेगी इकाई लागत= रू॰ 50,000/-, प्रति इकाई सामान्य जाति ४०प्रतिशत (रू॰ 20,000/) प्रति इकाई की अधिकतम सीमा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और उनकी सहकारी सभाओं के लिए ६०प्रतिशत प्रति इकाई की दर से 30,000/- अधिकतम सीमा।		

राज्य सरकार योजना			
1) योजना घटक का नाम	गिल जाल आबंटन		
पात्रता	लाभार्थी सहकारी सभा का सदस्य होना आवश्यक है।		
सहायता का ब्योरा	इकाई लागत = 6,000/-, सामान्य जाति= 25प्रतिशत (1,500/-)		
	अनुसूचित जाति/जनजाति= ५०प्रतिशत (३,०००/-)		
आयु सीमा	कोई नहीं जेंडर सभी		
2) योजना घटक का नाम	रिस्क फण्ड योजना		
पात्रता	1. लाभार्थी पूर्णकालिक सक्रिय मछुआरा होना चाहिए ।		
	2. लाभार्थी किसी कार्यशील मत्स्य सहकारी सभा/फेडरेशन/पंजीकृत इकाई का		
	सदस्य होना चाहिये ।		
	मछुआरे द्वारा रिस्क फण्ड में वार्षिक 20/- रू० का योगदान अनिवार्य है।		
सहायता का ब्योरा	सभी क्षतिग्रस्त उपकरणों की लागत पर अधिकतम ५०प्रतिशत (अधिकतम		
	लागत सीमा- बोट 6 0,000/- रू०, जाल 6, 000/- रू०, टेंट 25 ,000/-		
	रू० व तरपाल 2,000/- रू०)		
आयु सीमा	कोई नहीं जेंडर सभी		
3) योजना घटक का नाम	अनुसूचित जाति बहुल्य गाँव में सामुदायिक तालाब निर्माण/ पुनरुधार		
पात्रता	केवल अनुसूचित जाति बहुल्य गाँव/ पंचायत के लिए		
सहायता का ब्योरा	100प्रतिशत (रू॰ 1,00,000/-)		
आयु सीमा	कोई नहीं जेंडर सभी		
4) योजना घटक का नाम	प्रशिक्षण शिविर- अनुसूचित जाति वर्ग के लिए		
पात्रता	केवल अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए		
सहायता का ब्योरा	100प्रतिशत		
आयु सीमा	कोई नहीं जेंडर सभी		
5) योजना घटक का नाम	मत्स्य पालन तालाब निर्माण जन जाति वर्ग के लिए		
पात्रता	केवल जन जाति जातीय वर्ग के व्यक्तियों के लिए		
सहायता का ब्योरा	न्यूनतम ५०० वर्ग मीटर के तालाब हेतु रू० २५,५००/- की वित्तीय सहायता		
	(प्रथम वर्षीय आदानों सहित)।		
आयु सीमा	कोई नहीं जेंडर सभी		

सम्पर्क	सूत्र /अधिकारी		
जिला बिलासपुर			
सहायक निदेशक मत्स्य, मत्स्य जिला ि मण्डल बिलासपुर, हि० प्र०	बेलासपुर adfisheries1- bil-hp@gov.in		
<u>जिला कुल्ल्</u>	<u>ु और लाहौल व स्पीती</u>		
उप निदेशक मत्स्य, मत्स्य मण्डल जिला व् पतलीकुहल जिला कुल्लू , हि० प्र॰	कुल्लू ddfisheries- kul-hp@nic.in 01902-240163		
	जिला मंडी		
सहायक निदेशक मत्स्य, मत्स्य जिला म मण्डल मंडी जिला मंडी, हि० प्र॰	hp@nic.in		
1 3	<u> (जिला काँगड़ा)</u>		
सहायक निदेशक मत्स्य, मत्स्य पौंग ज मण्डल पौंग- डैम जिला काँगड़ा, हि0 प्र॰	लाशय Adfisheries- pong- hp@nic.in 01893-201282		
<u>जिला हमीरपुर व काँग</u>	<u>ड़ा (पौंग जलाशय को छोडकर)</u>		
मण्डल पालमपुर, जिला काँगड़ा, (पौंग हि0 प्र॰ को उ	त काँगड़ा Adfisheries- जलाशय pal-hp@nic.in छोडकर)		
	जेला चम्बा		
सहायक निदेशक मत्स्य, चम्बा जिला च स्थित सुल्तानपुर जिला चंबा, हि० प्र०	ব্দৰা Adfisheries- cha-hp@nic.in		
जिला वि	केन्नौर व शिमला		
जिला शिमला , हि० प्र॰	किन्नौर व adfish-sml- रामला hp@nic.in		
	जेला सोलन		
सहायक निदेशक मत्स्य, सोलन जिला र जिला सोलन हि0 प्र॰	sol-hp@nic.in		
<u>छि</u>	<u>ाला सिरमौर</u>		
सहायक निदेशक मत्स्य, सिरमौर जिला जिला जिला सिरमौर हि०प्र॰	सेरमौर adf-sir- hp@nic.in 01702-224985		
<u> </u>	<u>जेला ऊना</u>		
सहायक निदेशक मत्स्य, ऊना जिला उ जिला ऊना हि०प्र॰	una-hp@nic.in		
	stal Address:		
Directorate of Fisheries Himachal Pradesh Matasaya Bhawan Changer Sector Bilaspur-174 001. e-mail: fisheries-hp@nic.in Website: hpfisheries.nic.in Phone-91-1978-224068(0) Phone-91-1978-224068(Fax) Phone-91-1978-223212(0)			

